वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 19.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, जनवार्ता , जनवार्ता, परफेक्ट मिशन, तरुणमित्र न्यूज़,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 19.12.2025

तैयारी

20 स्टाफ की होगी भर्ती, 5 एसोसिएट इंजीनियर और 15 फील्ड स्टाफ होंगे शामिल

अवैध प्लॉटिंग पर नियंत्रण के लिए ड्रोन सर्वे और थ्रीडी जीआईएस मॉडलिंग शुरू

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी जोन में ड्रोन सर्वे और थ्रीडी जीआईएस मॉडलिंग से जांच की जा रही है।

बृहस्पतिवार को वीडीए सभागार में वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि सोशल मीडिया और जनसंपर्क माध्यमों से मिली सूचनाओं के आधार पर 200 अवैध प्लॉट्स चिह्नित किए गए हैं। जिन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कहा कि वीडीए की ओर से विकास, प्रवर्तन कार्यों को और गति दी जाएगी। 20 स्टाफ की भर्ती की जा रही है। 5 एसोसिएट इंजीनियर, 15 फील्ड स्टाफ हैं। सभी प्लॉटर्स/डेवलपर्स जल्द से जल्द अपने-अपने लेआउट को स्वीकृत कराएं। निर्धारित समयावधि में लेआउट स्वीकृत न कराने की

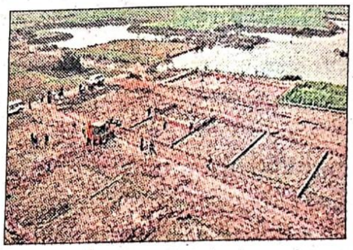

ड्रोन से ली गई फोटो। संवाद

स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से लेआउट की स्वीकृति मात्र 7 दिन में दी जाएगी। स्वीकृत लेआउट पर भवन मानचित्र 48 घंटे में पास होगा। बिना स्वीकृत मानचित्र के भवन निर्माण करने पर बैंक ऋण (होम लोन) नहीं मिलेगा। मानचित्र स्वीकृत कराना प्लॉटर्स और नागरिक दोनों के हित में हैं।

किसी भी समस्या के लिए सीधे वीडीए उपाध्यक्ष से मिले : किसी भी प्रकार की समस्या, सुझाव, जानकारी के लिए आमजन, प्लॉटर्स सुबह 10 से 12 बजे तक वीडीए कार्यालय में उपाध्यक्ष से सीधे मिल सकते हैं। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0542-2283305, 7518102822 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

वीडीए जल्द विकसित करेगा आवासीय कॉलोनी : वीडीए जल्द ही खुद की आवासीय कॉलोनी विकसित करने जा रहा है। पूरी तरह से नियोजित और मानक अनुरूप विकास किया जाएगा। वीडीए आमजन से अपील करता है कि किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, खरीद-फरोख्त या निर्माण से पूर्व प्राधिकरण से विधिवत स्वीकृति प्राप्त करें और वाराणसी के सुनियोजित विकास में सहभागी बनें।

दैनिक जागरण–दि0 19.12.2025

वीडीए से सप्ताहभर में पास होगा मकान का मानचित्र

जागरण संवाददाता, वाराणसी : भवन स्वामियों की सुविधा और अधिक से अधिक नक्शा पास करने को लेकर गुरुवार को वीडीए सभागार में नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैंप लगाया गया। कैंप में कुल 102 मामले आए और नियोजन अनुभाग की ओर से मौके पर 28 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं, सुनवाई के दौरान कुल 37 भवन स्वामी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। कैंप की अध्यक्षता कर रहे वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा के समक्ष पांचों जोनल अधिकारियों ने कुल 102 पत्रवालियों को रखा। सचिव ने एक-एक पत्रवालियों के बारे में पूछने के साथ भवन स्वामी को बुलाते रहे। जो भवन स्वामी पहुंचे उनकी समस्या सुनने जल्द मकान का नक्शा पास करने का भरोसा दिलाया। साथ ही जोनल अधिकारी को एक सप्ताह में नक्शा पास करने के साथ रिपोर्ट देने को कहा। कैंप में जोनल अधिकारी संजीव कुमार, शिवाजी मिश्रा, प्रकाश कुमार आदि मौजूद थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 19.12.2025

अवैध प्लाटिंग करने वालों के घर पर अब गरजेगा बुलडोजर

अवैध जमीन की प्लाटिंग तोड़ने संग होगा ड्रोन सर्वे, होगी कार्रवाई

- अवर अभियंता और सुपरवाइजर दर्ज कराएंगे डेवलपर्स के खिलाफ मुकदमा
- कार्रवाई के लिए और भर्ती होंगे पांच एसोसिएट इंजीनियर व 15 फील्ड स्टाफ

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण से बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चिह्नित 200 अवैध कालोनियों में बुलडोजर से प्लाटिंग (बाउंड्री) तोड़ने के साथ ड्रोन से सर्वे कराना शुरू कर दिया है। साथ ही फोटोग्राफी कराई जा रही है जिससे दोबारा वहां प्लाटिंग मिलने पर कालोनाइजर के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ अवर अभियंता और सुपरवाइजर मुकदमा दर्ज कराएंगे। साथ ही कालोनाइजर के घर का भी पता लगाएंगे। यदि उनके मकान का नक्शा पास नहीं है तो उन्हें नोटिस जारी करने के साथ ध्वस्तिकरण की कार्रवाई की जाएगी।

वीडीए उपाध्यक्ष ने अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करने को लेकर गुरुवार को जोनल अधिकारियों संग बैठक कर कहा कि चिह्नित अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ड्रोन सर्वे और फोटोग्राफी कराएं। साथ ही थ्री-डी जीआइएस माडलिंग के जरिए देखें कि वहां कब से जमीन की प्लाटिंग शुरू हुई है। जिन्होंने अवैध कालोनियां आबाद की है या आबाद कर रहे उन्हें नोटिस भेजकर वीडीए से ले-आउट पास कराने के लिए कहे, फिर भी वे ले-आउट पास नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें।

बुलडोजर से अवैध जमीन की प्लाटिंग तोड़ने के साथ ड्रोन से फोटोग्राफी कराई गई

ले-आउट 48 घंटे के अंदर स्वीकृत हो जाएगा

वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि विकास प्राधिकरण के शर्तों को पूरा करने के साथ सात दिन के अंदर कालोनी का ले-आउट पास होगा। 48 घंटे के अंदर ले-आउट स्वीकृत हो जाएगा। डेवलपर्स सुबह 10 से 12 बजे तक सीधे मुझसे कार्यालय में आकर मिले। किसी अन्य कर्मचारी से मिलने की जरूरत नहीं है। सहायता के लिए प्राधिकरण हेल्पलाइन 0542-2283305 या मेरे मोबाइल नंबर 7518102822 संपर्क करें।

अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग के लिए सिर्फ डेवलपर्स ही जिम्मेदार नहीं होंगे। जमीन खरीदने वालों के साथ वीडीए के अवर अभियंता और सुपरवाइजर को भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। उनकी जिम्मेदारी है कि अवैध प्लाटिंग पर नजर रखें।

-पुर्ण बोरा, उपाध्यक्ष, वीडीए।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 19.12.2025

टाउनशिप में कृषक भी होंगे सहभागी

- बिल्डरों, डेवलपरों के साथ बैठक में चर्चा
- दीर्घकालिक शहरी विकास की है रूपरेखा

वाराणसी, हिटी। टाउनशिप प्लानिंग स्कीम के संबंध में गुरुवार को वीडीए उपाध्यक्ष ने बैठक की। वीडीए मुख्यालय में बिल्डरों, डेवलपरों के साथ बैठक में बनारस में नियोजित, संतुलित एवं दीर्घकालिक शहरी विकास की रूपरेखा पर चर्चा हुई।

उपाध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में आधारभूत सुविधाओं, यातायात एवं नागरिक सुविधाओं से संबंधित गंभीर समस्याएं उत्पन्न न हों, इसके लिए नियोजित टाउनशिप जरूरी है। यह योजना किसानों, डेवलपरों एवं प्राधिकरण की सहभागिता से लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य अनियोजित विकास से होने वाले नुकसान को रोकना एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त नियोजित टाउनशिप विकसिंत करना है।

उन्होंने कहा कि वीडीए द्वारा दो मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं। 25 प्रतिशत विकसित भूमि मॉडल में कुल भूमि क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा तथा विकसित भूमि का 25 प्रतिशत हिस्सा डेवलपर, किसान को लौटाया जाएगा। इस मॉडल में विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। 50 प्रतिशत विकसित भूमि मॉडल में कुल भूमि क्षेत्र का आंशिक विकास कर 50 प्रतिशत विकसित भूमि डेवलपर अथवा किसान को दिया जाएगा।

जनवार्ता–दि0 19.12.2025

वीडीए की नियोजित टाउनशिप योजना का शुभारंभ

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शहर के अनियोजित विकास को रोकने और संतुलित शहरी विस्तार सुनिश्चित करने के लिए नियोजित टाउनशिप प्लानिंग स्कीम की शुरूआत की है। उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा की अध्यक्षता में प्राधिकरण क्षेत्र के सभी डेवलपर्स के साथ आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में इस योजना की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बैठक में कहा कि शहर के कई हिस्सों में अनियोजित विकास और अत्यधिक भूमि विखंडन के कारण भविष्य में यातायात जाम, आधारभूत ढांचे की कमी और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वीडीए ने यह नई टाउनशिप प्लानिंग स्कीम लांच की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि योजना किसानों, डेवलपर्स और प्राधिकरण की पूर्ण सहभागिता एवं सहमति से लागू की जाएगी। लैंड पूलिंग

टाउनशिप योजना को लेकर संबद्ध लोगों संग बैठक करते वीसी।

किसी पर जबरन नहीं थोपी जाएगी, बल्कि सभी पक्षों की सहमति पर आधारित होगी। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सुनियोजित टाउनशिप का विकास करना है। योजना के तहत लैंड पूलिंग के दो विकल्प रखे गए हैं। पहला मॉडल 25 प्रतिशत विकसित भूमि का है, जिसमें पूरा विकास कार्य वीडीए द्वारा कराया जाएगा और विकसित भूमि का 25 प्रतिशत हिस्सा किसान या डेवलपर को वापस किया जाएगा तथा इस मॉडल में कोई विकास शुल्क नहीं लगेगा।

दूसरा मॉडल 50 प्रतिशत विकसित भूमि का है, जिसमें आंशिक (सेमी) विकास के बाद 50 प्रतिशत विकसित भूमि किसान या डेवलपर को प्रदान की जाएगी। उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रस्तावित टाउनशिप योजनाओं में चरणबद्ध विकास किया जाएगा, जिसमें चौड़ी सड़कें, सीवर व्यवस्था, जलापूर्ति, हरित क्षेत्र, पार्क और सामुदायिक सुविधाएं जैसी सभी आधुनिक व्यवस्थाएं शामिल होंगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन–दि0 19.12.2025

नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प का वीडीए ने किया आयोजन

- सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ आयोजित
- कुल 100 प्रकरण सुनवाई हेतु आए, 28 प्रकरणों को अस्वीकृत / स्क्रूटनी हेतु किया गया सम्मनित

वाराणसी(परफेक्ट मिशन)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देशानुसार सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प का गुरुवार को सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कैम्प का उद्देश्य भवन स्वामियों से प्राप्त मानचित्र, नोटिस तथा शमन से संबंधित प्रकरणों का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना था।सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अनुभाग ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त मानचित्रों एवं प्रार्थना-पत्रों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन मानचित्रों को तकनीकी कारणों अथवा नियमों के अनुपालन न होने के कारण अस्वीकृत किया गया है, उन पर संबंधित प्रवर्तन टीम द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।कैम्प के दौरान विभिन्न अनुभागों द्वारा की गई प्रमुख कार्यवाहियों के क्रम में कैम्प में कुल 100 प्रकरण सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुए।28 प्रकरणों को अस्वीकृत / स्क्रूटनी हेतु सम्मनित किया गया।मानचित्र एवं नोटिस से संबंधित सुनवाई में कुल 37 भवन स्वामी उपस्थित हुए।

इस व्यापक जनसुनवाई अभियान में सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, पाँचों जोनों के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, लिपिकगण, तथा नियोजन, आवासि, सीलिंग एवं विधि अनुभाग के समस्त कार्मिक उपस्थित रहे और सभी ने अपने-अपने स्तर से कार्यवाही को सुचारू रूप देकर कैम्प को सफल बनाया।सचिव ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मानचित्रों एवं नोटिसों के निस्तारण की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ एवं त्वरित बनाया जाए। इसी क्रम में निर्णय लिया गया है कि हर बृहस्पतिवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार में नियमित रूप से नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प का आयोजन किया जाएगा, जिससे भवन स्वामियों को एक ही स्थान पर पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध समाधान उपलब्ध हो सके तथा शहर के सुव्यवस्थित शहरी विकास को प्रोत्साहन मिल सके।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 19.12.2025

वीडीए में नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प का हुआ आयोजन

सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ आयोजित

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देशानुसार सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में गुरवार को नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प का उद्देश्य भवन स्वामियों से प्राप्त मानचित्र, नोटिस तथा शमन से संबंधित प्रकरणों का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना था।

सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अनुभाग ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त मानचित्रों एवं प्रार्थना-पत्रों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन मानचित्रों को तकनीकी कारणों अथवा नियमों के अनुपालन न होने के कारण अस्वीकृत किया गया है, उन पर संबंधित प्रवर्तन टीम द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस जनसुनवाई अभियान में सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, पाँचों जोनों के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, लिपिकगण, तथा नियोजन, आवासि, सीलिंग एवं विधि अनुभाग के समस्त कार्मिक उपस्थित रहे।

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा कैंप में समस्याओं का निस्तारण करते हुए

कैम्प के दौरान विभिन्न अनुभागों द्वारा की गई प्रमुख कार्यवाही -

- *कैम्प में कुल 100 प्रकरण सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुए।*
- *28 प्रकरणों को अस्वीकृत / स्क्रूटनी हेतु सम्मनित किया गया।*
- *मानचित्र एवं नोटिस से संबंधित सुनवाई में कुल 37 भवन स्वामी उपस्थित हुए।*